क्रम-संख्या–176

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 9 जुलाई, 2007

आषाढ़ 18, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1186/79–वि–1–07-1(क)24/2007
लखनऊ, 9 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 7 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 15 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(क) सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग	अध्यक्ष, पदेन

(ख) सरकार का सचिव "पदेन" सदस्य
वित्त विभाग

(दो) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्,

"(झ) निम्नलिखित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार गैर सरकारी सदस्य, अर्थात् :-

(एक) उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ का एक प्रतिनिधि;

(दो) तीन व्यक्ति, जिनमें से एक कृषक होगा और दो राज्य में गाय के कल्याण, परिरक्षण और संरक्षण में लगे स्वयंसेवी संगठनों से संबंधित होंगे।"

(ख) उपधारा (2) में शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायेगा।

धारा 5 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 5 में :-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा,

परन्तु यह कि कोई गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।"

(ख) उपधारा (4) को निकाल दिया जाएगा।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2007

4-(1) उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1999) को संशोधित करके प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त आयोग का पदेन अध्यक्ष बनाने, पन्द्रह गैर सरकारी सदस्यों के स्थान पर उक्त आयोग के चार गैर सरकारी सदस्यों के लिए उपबन्ध करने और गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कारवाई करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1186/79–V–1–07–1(Ka)24/2007
Dated, Lucknow July 9, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 7, 2007:–

THE UTTAR PRADESH GO SEVA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2007

(U.P. Act No. 9 of 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 15, 2007.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 15 of 1999

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 hereinafter referred to as the principal Act :–

(a) in sub-section (1)–

(i) *for* clauses (a) and (b) the following clauses shall be *substituted*, namely :–

"(a) Principal Secretary/Secretary to the Government in the Animal Husbandry Department.	*Chairperson Ex-officio.*
(b) Secretary to the Government in the Finance Department	*"Ex-officio Member"*

(ii) *for* clause (i) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"(i) four non official members nominated by the Government from amongst the following persons, namely:–

(i) one representative of the Uttar Prradesh Goshala Sangh established under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964;

(ii) three persons of which one person shall be a farmer and two persons belonging to Voluntary organisations engaged in the welfare, preservation and protection of the cow in the State,"

(b) in sub-section (2) *for* the words "Chairperson and the Vice-Chairperson" the word "Vice-Chairperson" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act:–

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely:–

"(1) every non-official member shall hold offfice for a term of one year and shall be eligible for re-nomination:

Provided that a non-official member shall hold office during the pleasure of the Government."

(b) sub-section (4) shall be *omitted*.

U.P. Ordinance no. 12 of 2007

4. (1) the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 is repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to ensuring proper working of the Uttar Pradesh Go Seva Ayog it was decided to amend the Uttar Pradesh Go Seva Ayog Adhiniyam, 1999 (U.P. Act no. 15 of 1999) to provide for making the Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Animal Husbandry Department as the ex-officio Chairman of the said Ayog, Making provision for four non-official members of the said Ayog instead of fifteen non-official members and reducing the terms of non-official members from three years to one year.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Go Seva Ayog (Sanshodhan) Adhyadesh, 2007 (U.P. Ordinance no 12, 2007) was promulgated by the Governor on June 15, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA SINGH.
Pramukh Sachiv

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 266 राजपत्र (हि०)–2007–(597)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 145 सा0 विधायी–10–76–2007–(698)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।